



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/37/2016/एफ0सी0/171

दिनांक : 8-7-2016

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

विषय: Construction of four lane Jalaun to Orai (Bilrayan)- Panwari Road SH21 from Km. 352.00 to 370.450, Bypass No. 1&2 and remaining part of NH(25) District- Jalaun, Uttar Pradesh

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 1313/14-2-2016-800(71)/2016, दिनांक- 14.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UP/Road/17575/2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 13.05.2016 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि चाही गयी बिन्दुवार सूचना में बिन्दु संख्या-23 के उत्तर में नोडल अधिकारी ने जो सूचना दी है, जिसे आपने अपने उपरोक्त पत्र के साथ भेजा है, वह संतोषजनक नहीं है।

आपसे अनुरोध है कि चाही गयी सूचना की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने से पूर्व दस्तावेजों का भली भांति जाँच कर प्रेषित करें ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके। इस प्रकरण को जुलाई माह की क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में सम्मिलित किया जा रहा है। अतः चाही गयी सूचना अविलम्ब प्रेषित करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण), अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई, उ० प्र०।
3. श्री कुमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
4. आदेश प्रभावली

संख्या-आ.सं.157/14-2-2016

दिनांक : 12 जुलाई, 2016

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक [केन्द्रीय]

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण करते हुए अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।